भांडागारण विकास

प्रलिम्सि के लिये:

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीप्ट

मेन्स के लिये:

WDRA & E-NWR का महत्त्व और उद्देश्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **WDRA के स्थापना दिवस पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD)** के तहत **भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, (WDRA)** द्वारा **“e-NWR - प्लेज वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिये एक प्रभावी उपकरण"** पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण:

- **परिचय:**
  - इसका **गठन वर्ष 2010** में **भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007** द्वारा किया गया था ।
  - यह **सार्वजनिक नीति की एक पहल** थी जिसके तहत **e-NWR** को व्यापार का एक प्रमुख उपकरण बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में तरलता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने, फसल के बाद के नुकसान को कम करने आदि के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का उपयोग किसानों के लाभ के लिये करना था।
- **उद्देश्य:**
  - WDRA का प्रमुख उद्देश्य देश में **नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद** (**NWR**) प्रणाली को कार्यान्वित करना है।
  - इस प्राधिकरण का प्रमुख कार्य भांडागारणं के विकास और विनियमन के लिये **प्रावधान करना** है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भांडागारण रसीद की निगोशिएबिलिटी, **भांडागारण का पंजीकरण, माल की वैज्ञानिक भांडागारण को प्रोत्साहन देना,** जमाकर्ताओं और बैंकों के आपसी विश्वास को बढ़ाना, **ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी की स्थिति में सुधार करना** और प्रभावकारी आपूर्ति शृंखला को प्रोत्साहन देना शामिल है।
- **उपलब्धि:**
  - WDRA के साथ पंजीकृत गोदामों की संख्या में वृद्धि हुई थी और **बैंकों एवं किसानों तक इसकी पहुँच में तेज़ी से सुधार हुआ था।**
  - वर्ष 2021-22 तक **123 गोदाम** WDRA के तहत पंजीकृत हैं, जो **कुल 17,975 e-NWR** जारी करते हैं।

नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद:

- **परिचय:**
  - इसे **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में लॉन्च** किया गया था।
- **लाभ:**
  - किसान भंडारण के एवज में जारी की गई गोदाम रसीदों से **बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।**
  - WDRA के साथ पंजीकृत गोदामों द्वारा जारी ये **रसीदें केंद्रीय कानून द्वारा समर्थित पूरी तरह से परक्राम्य लिखित बन जाएंगी।**
- **इलेक्ट्रॉनिक रूप में NWR जारी करना:**
  - **इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीप्ट:**
    - इसकी परक्राम्यता (Negotiability) है और इसका उपयोग वस्तुओं के जमा एवं निकासी के साथ-साथ **हस्तांतरण व प्रतिज्ञा** जैसे व्यापारिक लेन-देन के लिये किया जा सकता है।
    - **इसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था।**
    - इसे e-NAM और रिपॉजिटरी के बीच इंटरफेस प्रदान करके **इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM)** प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है।

- इलेक्ट्रॉनिक नॉन-नेगोशिएबिल वेयरहाउस रसीप्ट (e-NNWR) जिसका उपयोग केवल व्यापार/हस्तांतरण की सुविधा के बिना वस्तुओं के जमा और निकासी के लिये किया जा सकता है।

e-NWR प्लेज फाइनेंस

- प्लेज़िंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक eNWR धारक सुरक्षा के रूप में eNWR की अंतर्निहित वस्तु (सेवा) का उपयोग करके किसी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करता है।
- जब एक प्लेज़ अंकित की जाती है **तो e-NWR शेष राशि (बैलेंस) केवल ग्राहक के खाते (उधारकर्त्ता) में ही रहेगी** लेकिन शेष राशि (बैलेंस) पर नियंत्रण वित्तीय संस्थान पास होगा।
- **जब तक वित्तीय संस्थान के पक्ष में प्लेज़ सक्रिय नहीं हो जाती, तब तक ग्राहक eNWR शेष राशि का उपयोग नहीं कर पाएगा।**

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में विपणन और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन संबंधी क्या बाधाएँ हैं? क्या ई-कॉमर्स इस अड़चन को दूर करने में मदद कर सकता है? **(2016)**

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/warehousing-development